न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 72 / 2014

विजयसिंह पुत्र भैरूराम जाति जाट (ज्याणी) निवासी वार्ड नंबर 3, गांधी बस्ती, सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

.....वादी.....

बनाम

1. स्व. पूर्णाराम पुत्र स्व. भैराराम जाति जाट (ज्याणी) निवासी वार्ड नंबर 1, गांधी बस्ती, सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/1. श्रीमती गणपति पत्नी स्व. पूर्णाराम जाति जाट निवासी वर्तमान वार्ड नंबर 59, बिजारणियां बास, कस्बा सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/2. नोरंगलाल पुत्र स्व. पूर्णाराम जाति जाट निवासी वर्तमान वार्ड नंबर 59, बिजारणियां बास, कस्बा सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/3. राजू ज्याणी पुत्र स्व. पूर्णाराम जाति जाट निवासी वर्तमान वार्ड नंबर 59, बिजारणियां बास, कस्बा सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/4. भंवरी देवी पुत्री स्व. पूर्णाराम पत्नी रामेश्वरलाल कीलका निवासी ग्राम आवसर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/5. नर्बदा पुत्री स्व. पूर्णाराम पत्नी भीखाराम निवासी ग्राम आवसर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/6. चुकी देवी पुत्री स्व. पूर्णाराम पत्नी धन्नाराम निवासी ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/7. पाना देवी पुत्री स्व. पूर्णाराम पत्नी देवाराम निवासी ग्राम कुशलपुरा रिंगण तहसील लाडनूं (राजस्थान)

1/8. स्व. लिछमा पुत्री स्व. पूर्णाराम पत्नी मोहनराम जाट निवासी वार्ड नंबर 59, बिजारणियां बास, सुजानगढ़ हाल निवासी ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/8/1. रामनिवास पुत्र स्व. लिछमा जाति जाट निवासी ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/8/2. मुकेश डुकिया पुत्र स्व. लिछमा जाति जाट निवासी ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ जिला–चूरू (राजस्थान)

1/8/3. किरण पुत्री स्व. लिछमा जाति जाट निवासी ग्राम कालेरां की ढ़ाणी तहसील वीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

लगातार.....2 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

2. अब्दूलरहमान पुत्र मोहम्मद रजाक जाति तेली निवासी चांद वास, कस्बा सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

3. जगदीश प्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी वजाज स्कूल के पास, वार्ड नंवर 15, कस्बा सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

4. सुरजमल पुत्र चुनीलाल जाति माली निवासी वजाज स्कूल के पास, वार्ड नंवर 15, कस्बा सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)

.....प्रतिवादीगण.....

दावा घोषणात्मक, विभाजन

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़, अगरसिंह राठौड़ वादी की ओर से
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3 की ओर से
(3) प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एक तरफा
(4) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक :..28/02/2025

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंवर 459 तादादी 9 वीघा 15 विश्वा व खेत खसरा नंवर 462 तादादी 9 वीघा 5 विश्वा कुल तादादी 19 वीघा भूमि वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज स्थित चली आ रही है। खेत खसरा नंवर 462 में वादी के हिस्से पांति की 1/2 हिस्सा भूमि है तथा खसरा नंवर 459 में वादी के हिस्से पांति में 1/2 हिस्सा भूमि है तथा खेत खसरा नंवर 459 में से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 पूर्णाराम से 3 वीघा 5 विश्वा भूमि खरीद की थी। उक्त विक्रय पत्र में वादी का नाम विजयसिंह पुत्र भेरूराम है जो वास्तविक है। वादी को घरेलु नाम से विजू, विड़दू व विड़दाराम के नाम से वोलते थे तथा उपरोक्त खसरेजात की भूमि जिस वक्त खरीद की गयी थी उस वक्त दस्तावेज तैयार करने वाले को घर में वोलता नाम वताया था इसलिये प्रलेख लेखक ने विड़दाराम नाम अंकित कर दिया परन्तु वादी का नाम राजकीय व अर्द्ध राजकीय समस्त दस्तावेजात में विजयसिंह पुत्र भैरूराम के नाम से चला आ रहा है और वास्तव में वादी का यही नाम शुद्ध है। राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश विसंगति अशुद्ध नाम विड़दाराम लिखा गया है वादी को उक्त अशुद्ध खातेदारी में नाम से कई वार मुसीवतों का सामना करना पड़ता है कई वार राजकीय लाभों से वंचित होना पड़ता है तथा कई वार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान जमावंदी में वादी का नाम विड़दाराम पुत्र भैराराम कत्तई अशुद्ध नाम है। वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

अपना नाम शुद्ध नाम विजयसिंह पुत्र भेरूराम के नाम से राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त करवाने की घोषणा करवाना आवश्यक हो गया है। वादी को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिये हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल निकलवायी तो अपने अशुद्ध नाम की जानकारी हुई जिस पर वादी ने अपना सही व शुद्ध नाम उपरोक्त खसरेजात की भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिये अपने अधिवक्ता के मार्फत कानूनी नोटिस दिनांक 14.08.2014 को जरिये पंजीकृत डाक से प्रतिवादी संख्या 5 को भिजवाया, उक्त नोटिस प्रतिवादी संख्या 5 को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी आज तक वादी का शुद्ध नाम विजयसिंह पुत्र भैरूराम के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्त नहीं किया गया जिस पर यह दावा वादी ने पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 5 राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही न्यायालय द्वारा की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 पूर्णाराम द्वारा जवाब दावा मय क्रोससूट प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा में कथन लिखते हुये वादी के दावे को ज्यादातर स्वीकार फरमाते हुये क्रोससूट बाबत विभाजन हेतु पेश किया और प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नंबर 462 तादादी 9 बीघा 5 बिश्वा भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के मध्य मिन 2 बीघा भूमि की खातेदारी अलग से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने का कथन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को भूमि विक्रय की तब उक्त विक्रय पत्र में सहमति स्वरूप हस्ताक्षर वादी के भी अंकित करवाये गये थे एवं विक्रय पत्र दिनांक 11.04.2012 में यह स्पष्ट रूप से तय हुआ था कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अपनी भूमि में से 18 फुट चौड़ा रास्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हिस्से तक जाने के लिये देगें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की भूमि रास्ते के रूप में 5 बिश्वा भूमि कम हो जायेगी और मौके पर वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है और रास्ता मौके पर बना हुआ है। इसी मुताबिक प्रतिवादी अपने खेतों को अलग से विभाजन करवाकर व रास्ते का अंकन करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में अलग खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है और बादगत भूमि का विभाजन करवाने के लिये दिनांक 25.03.2015 को निवेदन किया तो पक्षकार इन्कार हो गये। यही क्रोससूट के वादी पूर्णाराम को दाद हैतुक है और दावा विभाजन का डिक्री किया जावे। क्रोससूट का जवाब वादी विजयसिंह ने न्यायालय में पेश किया और वादी विजयसिंह ने बादगत खेत खसरा नंबर 459 व 462 की संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक कब्जा, काश्त के विभाजन करवाने का कथन किया और

लगातार.....4 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

प्रतिवादी संख्या 1 पूर्णाराम के क्रोससूट में वर्णित तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये वादगत खेतों में पक्षकारान के हिस्सा कस्सी व कब्जा, काश्त के मुताबिक विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा गया है तथा अपने खेतों में आवागमन के लिये मुताबिक विक्रय पत्र 18 फुट चौड़ा आवागमन के लिये राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किये जाने का कथन किया है। प्रतिवादी संख्या 2 अब्दूलरहमान द्वारा जवाब दावा एवं क्रोससूट विभाजन वाक्त पेश किया। उक्त जवाब दावा में वादी विजयसिंह के वाद को स्वीकार फरमाते हुये क्रोससूट में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की भूमि खेत खसरा नंबर 462 तादादी 9 बीघा 5 बिश्वा में से अगुणी तरफ की 4 बीघा भूमि की खातेदारी अलग से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने का कथन किया और वादी विजयसिंह के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 459 तादादी 9 बीघा 15 बिश्वा सम्पूर्ण व खसरा नंबर 462 मिन तादादी पश्चिमी तरफ की 3 बीघा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अलग से दर्ज करने का कथन किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पांति में खसरा नंबर 462 तादादी 9 बीघा 5 बिश्वा में से वादी विजयसिंह व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के मध्य मिन तादादी 2 बीघा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अलग से दर्ज करने का कथन किया है और खसरा नंबर 462 के मध्य मुताबिक विक्रय पत्र के रास्ता बना हुआ है। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने का कथन किया है। प्रतिवादी संख्या 2 अब्दूलरहमान के क्रोससूट को ज्यादातर स्वीकार फरमाते हुये वादी विजयसिंह द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। दौराने वाद विचारण प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3 को दावे के रेकॉर्ड पर लिया जाकर पक्षकार संयोजित किया गया और वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3 ने न्यायालय मे मय अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 02.08.2024 को राजीनामा पेश किया और न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2024 को उक्त राजीनामा तस्दीक किया गया और राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के अधिवक्ता ने दिनांक 12.02.2025 को पैरवी हिदायत नहीं होना अंकित किया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के विरुद्ध न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

न्यायालय द्वारा निम्न तनकी कायम की गयी :– (1) आया वादगत आराजी खेत खसरा नंबर 459 व खसरा नंबर 462 वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण की भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम बिड़दाराम अशुद्ध है तथा वादी का शुद्ध नाम विजयसिंह है कि राजस्व रेकॉर्ड में वादी दुरुस्त करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। .....जिम्मे वादी.....

लगातार.....5 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

(2) आया वादी अपने हिस्से पांति की भूमि वादगत खेत खसरा नंबर 459 व खेत खसरा नंबर 462 वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण की संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक राजीनामा व नजरी नक्शा के विभाजन करवाने का अधिकारी है। .....जिम्मे वादी.....

(3) आया वादी मुताबिक राजीनामा व नजरी नक्शा के राजस्व रेकॉर्ड में आवागमन के रास्ता की घोषणा करवाने का अधिकारी है। .....जिम्मे वादी.....

(4) दादरसी

मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं विजयसिंह ने अपना शपथ पत्र पेश कर बयान करवाये गये और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित नक्शा ट्रैस खेत खसरा नंबर 459 व 462 प्रदर्श–1, प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 खेत खसरा नंबर 459 व 462 प्रदर्श–2, नकल प्रमाणित निर्णय मुकदमा अनुवानी मोहनी बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 15.07.2015 प्रदर्श–3, निर्णय की प्रमाणित डिक्री प्रदर्श–4, हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.07.2015 प्रदर्श–5, कानूनी नोटिस दिनांक 14.08.2014 प्रदर्श–6, रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8, पानी का असल बिल प्रदर्श–9, भारत सरकार द्वारा जारी टेस्ट पास का प्रमाण पत्र प्रदर्श–10 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–10 अ, जयचन्दलाल भुतौड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनूं में वार्षिक उत्सव में जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श–11 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–11 अ जो तस्तरी फेंक में जारी किया गया था, जयचन्दलाल भुतौड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनूं द्वारा फुटबॉल मैच में प्रमाण पत्र जारी किया जो प्रदर्श–12 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–12 अ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सैकेण्डरी पास की अंकतालिका प्रदर्श–13, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–13 अ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से हायर सैकेण्डरी पास की अंकतालिका प्रदर्श–14, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–14 अ, वादी के पुत्र पीथाराम के नाम से जारी पासपोर्ट की फोटोप्रति व वादी के पुत्र भंवरलाल के नाम से जारी पासपोर्ट की फोटोप्रति, वोटरलिस्ट की फोटोप्रति पेश की है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र प्रदर्श–15 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–15 अ, परिवार राशन कार्ड प्रदर्श–16 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–16 अ, आधार कार्ड प्रदर्श–17 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–17 अ, पेन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी प्रदर्श–18 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–18 अ, पेंशन का सेवा प्रमाण पत्र प्रदर्श–19 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–19 अ, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र प्रदर्श–20 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–20 अ, बैंक खाता पास बुक प्रदर्श–21 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–21 अ, पूर्णाराम द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 11.04.2012 को वादगत भूमि के संबंध में जो विक्रय पत्र किया था

लगातार.....6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रदर्श–22 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श–22 अ, पूर्णाराम द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में दिनांक 11.04.2012 को किया गया जो प्रदर्श–23 है। उक्त दस्तावेजात वादी ने दावा के समर्थन में प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये है।

वहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारान के अधिवक्तागण ने वहस के दौरान कथन किया कि दावा घोषणात्मक व कृषि भूमि के विभाजन बावत है। उभय पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 स्व॰ पूर्णाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3 के आपस में राजीनामा हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जा चुकी है। वादी विजयसिंह ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 एक ता प्रदर्श–23 प्रस्तुत कर सावित किया है और उक्त दस्तावेजात में वादी का नाम विजयसिंह है जो शुद्ध व सही नाम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम विड़दाराम भूलवश गलत लिखा गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर विजयसिंह पुत्र भैरूराम के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जाना कानूनन आवश्यक है। वादी का दावा व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान का क्रोससूट डिक्री किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है और राजीनामा व दस्तावेजात के आधार पर वादी ने अपना वाद सावित किया है। वादी ने अपने अशुद्ध नाम विड़दाराम को शुद्ध नाम विजयसिंह पुत्र भैरूराम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिये घोषणात्मक वाद पेश किया और उक्त वाद के समर्थन में वादी ने अपने शुद्ध नाम के प्रदर्श–1 ता प्रदर्श–23 दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये है। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी का नाम भूलवश विड़दाराम राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध लिखा गया है जवकि वादी का शुद्ध व सही नाम उक्त दस्तावेजात से विजयसिंह पुत्र भैरूराम सावित है और वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विजयसिंह पुत्र भैरूराम शुद्ध नाम होना सावित किया है और वादी का नाम वियजसिंह पुत्र भैरूराम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी ने सावित की है और तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय की जाती हैं। वादगत भूमि के संबंध में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 स्व॰ पूर्णाराम के वारिसान 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3 ने राजीनामा प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी पत्रावली में जवाब दावा पेश किया गया है। उक्त जवाब दावा मय क्रोसदावा में भी प्रतिवादी संख्या 2 ने विभाजन की मांग की है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन करने से यह

लगातार........7 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

साबित है कि मुताबिक राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सा कस्सी के व कब्जा, काश्त के अनुसार विभाजन की मांग की गयी है और राजीनामा के अनुसार पक्षकारान ने दावा साबित किया है। इस प्रकार वादी ने तनकी संख्या 2 को साबित किया है और तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में तय की जाती है। प्रदर्श–23 विक्रय पत्र दिनांक 11.04.2012 के पृष्ठ संख्या 6 की पैरा संख्या 3 में स्पष्ट रूप से क्रेतागण (प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4) ने इस बात के लिये विशेष रूप से सहमत व आबद्ध हुये है कि आगे के खेत में जाने के लिये विक्रीत भूमि में से बीच में से 18 फुट चौड़ा रास्ता के लिये भूमि आवागमन के लिये छोड़ेगें व उक्त छोड़े गये रास्ते में खातेदारान व उनके वारिसान को आवागमन के लिये कभी अवरूद्ध व बाधा नही पहूंचायेगें और इस विक्रय पत्र में सहखातेदार बिड़दाराम (वादी) के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर बतौर साक्षी के रूप में करवाये गये है। इससे यह साबित है कि प्रस्तुत राजीनमा के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता वादी के खेत में व पक्षकारान के खेतों में आवागमन के लिये पक्षकारान ने अपनी सहमति से छोड़ा है और उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकॉर्ड में पक्षकारान की सहमति के आधार पर किया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ते बाबत किसी भी पक्षकार की ओर से कोई आपत्ति या ऐतराज पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जबाब दावा मय क्रोसदावा की मद संख्या 12 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि खसरा नंबर 462 के मध्य रास्ता बना हुआ है एवं इसी मुताबिक प्रतिवादीगण अपने खेतों को अलग से विभाजन करवाकर व रास्ते का अंकन करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में अलग से खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता के संबंध में विक्रय पत्र प्रदर्श–23 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस प्रकार तनकी संख्या 3 को वादी ने उपरोक्त विवेचना के आधार पर साबित किया है। तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में तय की जाती है वादगत खसरेजात की भूमि का विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 स्व॰ पूर्णाराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3 के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अलग से खातेदारी मुताबिक राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार दर्ज की जानी आवश्यक है तथा वादी का शुद्ध व सही नाम विजयसिंह पुत्र भैरूराम राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना उचित है और राजस्व रेकॉर्ड में 18 फुट चौड़ा रास्ता का अंकन भी उपरोक्त विवेचना के आधार पर किया जाना उचित है और न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है इस प्रकार वादी का घोषणात्मक दावा व प्रतिवादी संख्या 1 का क्रोसदावा कृषि भूमि के विभाजन का मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

लगातार.....8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

अतः दावा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 (प्रतिवादी संख्या 1 स्व॰ पूर्णाराम के वारिसान 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3) का क्रोसदावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादी का अशुद्ध नाम विड़दाराम दर्ज है को दुरूस्त किया जाकर वादी का शुद्ध व सही नाम विजयसिंह पुत्र भैरूराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा खेत खसरा नंवर 459 तादादी 9 वीघा 15 विश्वा व खेत खसरा नंवर 462 तादादी 9 वीघा 5 विश्वा वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से पांति में खेत खसरा नंवर 459 तादादी 9 वीघा 15 विश्वा सम्पूर्ण व खेत खसरा नंवर 462 तादादी 9 वीघा 5 विश्वा में से मिन तादादी 3 वीघा पश्चिमी तरफ की भूमि की खातेदारी वादी के नाम अलग से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 स्व॰ पूर्णाराम के वारिसान 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3 के नाम से उनके हिस्से पांति में खेत खसरा नंवर 462 तादादी 9 वीघा 5 विश्वा भूमि में से मिन तादादी 2 वीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के वीच में रखी गयी है कि भूमि की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अलग से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खसरा नंवर 462 की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज की जावे। उभय पक्षकारान के आवागमन के लिये खेत खसरा नंवर 462 के वीच में से मुताविक नजरी नक्शा एवं राजीनामा के वादी के हिस्से पांति की भूमि में पहूंच तक आवागमन का 18 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ते को कोई भी पक्ष वंद नही करेगा, आवागमन के लिये हमेशा खुला रखेगें, किसी भी प्रकार की वाधा नहीं पहूंचायेगें। प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जाता है कि मुताविक निर्णय व डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर नक्शा ट्रैस में तरमीम करें व लगान अलग से कायम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो, खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़ व इजलास ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

विजयसिंह बनाम पूर्णाराम आदि

दावा घोषणात्मक एवं विभाजन

राजस्व वाद संख्या :– 72 / 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री रामसिंह राठौड़, अमरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी, श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल वास्ते प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3 मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एक तरफा मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का दावा व प्रतिवादी संख्या 1 का क्रोसदावा की अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादी का अशुद्ध नाम बिड़दाराम दर्ज है को दुरूस्त किया जाकर वादी का शुद्ध व सही नाम विजयसिंह पुत्र भैरूराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा खेत खसरा नंबर 459 तादादी 9 बीघा 15 बिश्वा व खेत खसरा नंबर 462 तादादी 9 बीघा 5 बिश्वा वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 459 तादादी 9 बीघा 15 बिश्वा सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 462 तादादी 9 बीघा 5 बिश्वा में से मिन तादादी 3 बीघा पश्चिमी तरफ की भूमि की खातेदारी वादी के नाम अलग से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 स्व॰ पूर्णाराम के वारिसान 1/1 से 1/7 व 1/8/1 से 1/8/3 के नाम से उनके हिस्से पांति में खेत खसरा नंबर 462 तादादी 9 बीघा 5 बिश्वा भूमि में से मिन तादादी 2 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के बीच में रखी गयी है कि भूमि की खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में अलग से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खसरा नंबर 462 की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज की जावे। उभय पक्षकारान के आवागमन के लिये खेत खसरा नंबर 462 के बीच में से मुताबिक नजरी नक्शा एवं राजीनामा के वादी के हिस्से पांति की भूमि में पहूंच तक आवागमन का 18 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ते को कोई भी पक्ष बंद नही करेगा, आवागमन के लिये हमेशा खुला रखेगें, किसी भी प्रकार की वाधा नहीं पहूंचायेगें। प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जाता है कि मुताविक निर्णय व डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर नक्शा ट्रैस में तरमीम

लगातार.....2 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

करें व लगान अलग से कायम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो, खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

चीज..मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....28/02/2025.

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

ओहदा....................

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट खर्चे व कर्म मय कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।